<u>राजस्थान सरकार</u>
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांकः प15(4)कार्मिक/क–5/2017 जयपुर, दिनांक : 15/3/2017

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
2. समस्त प्र. शा. सचिव/शा. सचिव/वि. शा. सचिव
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय :– चतुर्थ राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बॉस्केटबॉल एवं तृतीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 2017–18 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि चतुर्थ राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बॉस्केटबॉल एवं तृतीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 2017–18 का झुंझुनू जिले में **दिनांक 15.09.2017 से 17.09.2017 तक** कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलेक्टर, झुंझुनू के माध्यम से आयोजित कराया जाना विचाराधीन है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 33 जिलों एवं जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की टीम भाग लेंगी।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना **दिनांक 5.08.2017** तक प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलेक्टर, झुंझुनू को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का भी श्रम करावें।

संलग्न : दिशा–निर्देश

भवदीय,

(रमेश चंद्र दीक्षित)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगितायें आयोजित कराने के लिए संबंधित बजट की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी। प्रतियोगिता के आयोजन एवं आवश्यक व्यवस्था की तैयारी कराने का श्रम करावें।
2. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा–निर्देशों को विभागीय वेबसाईट <u>www.dop.rajasthan.gov.in</u> पर News में अपलोड कराने का श्रम करावें।
3. अवधाता, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को सचिवालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का श्रम करावें।

(कैलाश चन्द्र)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बॉस्केटबॉल एवं वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता हेतु दिशा–निर्देश

1. **प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान** :– इस प्रतियोगिता का नाम चतुर्थ राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा बॉस्केटबॉल एवं तृतीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 2017–18 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक **15.09.2017 से 17.09.2017 तक जिला झुंझुनू** में आयोजित की जायेगी।

2. **प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम** :– राज्य के 33 जिलों की 33 टीम एवं 34वीं टीम जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय) की निम्न प्रकार से होगी :–

क.स.	टीम का नाम	क.स.	टीम का नाम
1.	अजमेर	18.	जालौर
2.	अलवर	19.	झालावाड
3.	बांसवाडा	20.	झुंझुनूं
4.	बाडमेर	21.	जोधपुर
5.	बारां	22.	करौली
6.	भरतपुर	23.	कोटा
7.	भीलवाडा	24.	नागौर
8.	बीकानेर	25.	पाली
9.	बूंदी	26.	राजसमंद
10.	चित्तौडगढ	27.	सवाईमाधोपुर
11.	चूरू	28.	सीकर
12.	दौसा	29.	सिरोही
13.	धौलपुर	30.	श्रीगंगानगर
14.	डूंगरपुर	31.	टोंक
15.	हनुमानगढ	32.	उदयपुर
16.	जयपुर	33.	प्रतापगढ
17.	जैसलमेर	34.	जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय)

3. **खेलवार खिलाड़ियों की संख्या** :–

क.स.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	खिलाड़ियों की कुल संख्या
1.	4th Rajasthan State Inter District Civil Services Basketball Tournament	12 पुरूष सदस्य +1 मैनेजर	13 x 34 = 442
2.	3rd Rajasthan State Inter District Civil Services Volleyball Tournament	12 पुरूष सदस्य +1 मैनेजर	13 x 34 = 442

4. **टीमों का फ्लेग एवं किट (खेल पोशाक) का रंग** :–
   - जिले की टीमों को अपने जिले की टीम के ध्वज एवं निर्धारित किट (खेल पोशाक) के साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जावेगा।
   - खेल पोशाक पर टीम का नाम एवं टी–शर्ट/बनियान पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
   - सभी टीमों के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी–शर्ट/बनियान) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (संबंधित जिला कलक्टर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. **प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता** :– राजकीय विभागों में नियमित रूप से नियुक्त सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पात्र होंगे।

6. **प्रतियोगिता में भाग लेने की अपात्रता** :– निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, ठेका श्रमिक, संविदा अधिकारी /कर्मचारी, कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी (बैल्टधारी) अपात्र होंगे।

7. **प्रतियोगिता का प्रचार–प्रसार** :– संबंधित जिला कलक्टर/संबंधित विभागों द्वारा प्रचार–प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जावेगी तथा समाचार पत्र/SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

8. **टीम चयन की प्रकिया** :–
   - **जिलों की टीम के चयन हेतु** :– संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अपने जिलें की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाडी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :–

क.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id

   - **जयपुर मुख्यालय की टीम के चयन हेतु** :– जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की टीम के चयन ट्रायल के लिए शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर खिलाडी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :–

क.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id

- **आवेदन पत्रों का संकलन :–** संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा अपने जिले की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त प्रारूप में भिजवाई जावेगी।
- **चयनित टीम की सूचना :–** संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा अपने जिले की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता को भिजवाते हुये प्रतिलिपी शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भी भिजवाई जावेगी :–
  - प्रतियोगिता का नाम
  - टीम का नाम
  - खेल का नाम
  - चयन ट्रायल की दिनांक
  - चयन ट्रायल का स्थान
  - चयन किये जाने वाले खिलाडियों की संख्या
  - चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार

क.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id

  - हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम मय पदनाम)
- प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियंत्रणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतियोगी को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

9. **प्रतियोगिता का प्रारूप :–**
   - प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनिट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थित विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जावेगा।
   - यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रू. 500/– जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
   - प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
   - सभी खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा खेल सद्भावना एवं खेल भावना के साथ खेलना होगा।
   - खेल के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
   - अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
   - कर्मचारी/अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेगें। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।
10. **खेल के नियम :–**
    - प्रतियोगिताऐं वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जावेगी।
    - प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अन्तिम होगा।
    - सभी खेल लीग कम नॉक आउट आधार पर खेले जायेंगें।
    - प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जावेगी।
11. **राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :–**
    - प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को ऑन ड्यूटी माना जायेगा एवं नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।
12. **प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :–**
    - रैफरी को रू. 300/–प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जावेगा।
    - प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाईड रैफरी संबंधित स्थानीय खेल संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेगें।
    - आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से खेल अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहेंगें।
13. **आयोजनकर्ता के कार्य :–**
    - उदघाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
    - प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/माईक आदि की व्यवस्था।
    - प्रमाण–पत्र, पुरस्कार (रनर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
    - प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
    - टीमों की आवास व्यवस्था आदि।
    - अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
    - प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
    - प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

(रमेश चंद्र दीक्षित)
शासन उप सचिव